अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जनवरी 2025

क्रमांक– 58/मप्रविनिआ/2025 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57, धारा 59 एवं धारा 181(1) सहपठित धारा 86(1)(एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत गुणवत्ता), विनियम, 2025 (जी 49, वर्ष 2025)

अध्याय – 1
प्रस्तावना (Preliminary)

1.1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ (Short Title, Extent and Commencement) :

(1) ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत गुणवत्ता) विनियम, 2025 (जी 49, वर्ष 2025)"** कहलाएंगे।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

(3) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.2 उद्देश्य (Objectives) :

इन विनियमों का उद्देश्य इन विनियमों में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्दिष्टानुसार विद्युत गुणवत्ता के मानदण्डों के अनुश्रवण तथा संधारण को सुनिश्चित करना है। इसके विस्तार क्षेत्र में आपूर्ति पक्ष (Supply Side) तथा उपभोक्ता स्थापनाओं दोनों पर मुख्य मानदण्डों (Parameters) के अन्तर्गत आपूर्ति वोल्टेज परिवर्तन/विषमता (Supply Voltage Variation), वोल्टेज असन्तुलन (Voltage Unbalance), स्फुरण (Flickers), वोल्टेज अवतलन/नतियां (Voltage Sags/Dips), स्फीतियां (Swells) तथा सन्नाद (harmonics) सम्मिलित हैं।

विद्युत गुणवत्ताका संबंध उस श्रेणी से है जिसके अनुसार विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज, आवृत्ति (frequency) तथा तरंग (waveform) निर्दिष्ट विशिष्टता (prescribed specification) से सुसंगत होती है। आदर्श परिस्थितियों के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय स्वीकार्य सीमाओं में वांछित वोल्टेज स्तर पर निरन्तर (uninterrupted) उपलब्ध होना चाहिए तथा

उसके द्वारा स्वच्छ (clean), शोर–मुक्त ज्यातक्रीय तरंग (noise-free sinusoidal waveform) प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इन मानकों से विचलन, जिसे सामान्यतः निकृष्ट विद्युत गुणवत्ता (Poor Power Quality) के रूप में जाना जाता है, के कारण निम्न कोटि की निष्पत्ति (degraded performance), असामयिक उपकरण विफलताएं और वर्धित प्रणाली हानियां (increased system losses) विकसित हो सकती हैं। विद्युत गुणवत्ता में विक्षोभ (disturbances) धारा–अनुकूल (upstream) तथा धारा–प्रतिकूल (downstream) की दिशा में प्रसारित हो सकते हैं तथा समान आपूर्ति तन्त्र (supply network) के अन्य उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं। प्रत्येक विक्षोभ भिन्न–भिन्न कारणों से उद्भूत होता है तथा यह विद्युत प्रणालियों तथा उपकरणों को भिन्न–भिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकता है।

1.3 **परिभाषाएं तथा व्याख्याएं (Definitions and Interpretations)** : इन विनियमों में पाये जाने वाले शब्द, अभिव्यक्तियों तथा व्याख्याएं जिन्हें इनके अन्तर्गत परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा कि यथासंशोधित विद्युत अधिनियम, 2003, नियमों तथा विनियमों तथा प्रयोज्य मानकों में इनके बारे में परिभाषित किया गया है।

1) **"अधिनियम (Act)"** से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

2) **"प्राधिकरण (Authority)"** से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (Central Electricity Authority) ;

3) **"संविदा मांग (Contract Demand)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के खण्ड 2.1 की उप–धारा(त) में इस हेतु परिभाषित किया गया है ;

4) **"उपभोक्ता (Consumer)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के खण्ड 2.1 की उप–धारा(द) में इस हेतु परिभाषित किया गया है ;

5) **"अभिहित उपभोक्ता (Designated Consumer)"** से अभिप्रेत है थोक उपभोक्ता (bulk consumers), जैसा कि इन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित विनियम 'CEA (Technical Standards for connectivity to the Grid) Regulations, 2007 में परिभाषित किया गया है तथा जो उनके द्वारा स्थापित विषम/गैर–रेखीय भारों (non-linear loads) की उपस्थिति के कारण संभावित विद्युत गुणवत्ता प्रदूषक (potential power quanlity polluters) के रूप में चिन्हांकित किये जाते हैं, या फिर जिन्हें इन विनियमों के अधीन अन्यथा

सम्मिलित किया जाता है। इन अभिहित उपभोक्ताओं में उनकी विद्युत गुणवत्ता प्रदूषक की संभावना के अध्यधीन रहते हुए निम्न मदों को सम्मिलित किया जाता है जो मात्र निम्न तक ही सीमित नहीं होगे :–

एक. वाणिज्यिक भवन {जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, सुविधाएं, होटल, विमान–पत्तन (Air Ports), माल, आदि}

ऊदो. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं (IT-Enabled Services)

तीन. मोटरकार (Automobiles)

चार. लोहा एवं इस्पात (Iron & Steel)

पांच. अल्यूमिनियम (Aluminium)

छः. कपड़े/वस्त्र (Textile)

सात. कागज एवं लुगदी (Paper and Pulp)

आठ. क्लोर–क्षार (Chlor-Alkali)

नौ. पेट्रोकेमिकल (Petrochemicals)

दस. सीमेंट (Cement)

ग्यारह. औषध–भेषजीय (Pharmaceuticals)

बारह. उर्वरक (Fertilizer)

तेरह. खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)

चौदह. प्लास्टिक एवं रबर (Plastic and Rubber)

पन्द्रह. रेलवे/मेट्रो (Railway /Metros)

सोलह. कोयला खदानें (Coal Mines)

सत्रह. विद्युत–आवेशन केन्द्र (E-charging Stations)

6) **"वितरित उत्पादन संसाधन (Distributed Generation Resource-DGR)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथासंशोधित विनियम 'Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013' के विनियम 2 की उप–धारा (e) में परिभाषित किया गया है ;

7) **"स्फुरण (Flickers)"** से अभिप्रेत है, प्रकाश उद्दीपक (light stimulus) जिसकी संदीप्ति (luminance) या वर्णक्रमीय वितरण (spectral distribution) समय के साथ–साथ घटते–बढ़ते (fluctuate) हैं द्वारा अभिप्रेरित दृष्टि–अनुभूति (induced visual sensation) के अस्थिर होने का आभास। ऐसा बत्तियों (lamps) की संदीप्ति के वोल्टेज की घटत–बढ़त (fluctuation) द्वारा निश्चित परिस्थितियों के अधीन

निमित्त होता है ;

8) **"सन्नाद (Harmonics)"** से अभिप्रेत है समयकालिक तरंग (periodic wave) का ज्यावक्रीय घटक (Sinusoidal component) जो वोल्टेज अथवा धारा तरंग (Voltage or Current Waveform) हो सकता है, जो ऐसी आवृत्ति (frequency) धारित करता है जैसा कि वह 50 हर्ट्ज (Hz) की मूलभूत आवृत्ति (fundamental frequency) का समाकलन गुणक (integral multiple) हो ;

9) **"भारतीय मानक (Indian Standards-IS)"** से अभिप्रेत है भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) द्वारा विनिर्दिष्ट मानक ;

10) **"इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोटैकनीकल कमीशन मानक (IEC Standards)"** से अभिप्रेत है इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोटैकनीकल कमीशन (IEC) द्वारा अनुमोदित मानक ;

11) **"आईईई मानक (IEEE Standards)"** से अभिप्रेत है इन्स्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इन्जीनियरिंग द्वारा अनुमोदित मानक ;

12) **"सामान्य परिचालन शर्त (Normal Operating Condition)"** से अभिप्रेत है किसी विद्युत तन्त्र (electricity network) हेतु परिचालन शर्त जहां निम्न की अनुपस्थिति में उत्पादन तथा भार मांगों (generation and load demands) का परस्पर मिलन होता है, प्रणाली स्विचिंग प्रक्रियाओं (System Switching Operations) का समापन होता है तथा स्वचालित संरक्षण प्रणालियों (automatic protection system) द्वारा दोषों का निवारण होता है ;

एक. अस्थाई आपूर्ति व्यवस्था (Temporary supply arrangement) ;

दो. आपवादिक अवस्थितियां (Exception situations) जैसे कि :

क) आपवादिक मौसमी परिस्थितियां (Exceptional Weather Conditions) तथा प्राकृतिक आपदाएं (Natural disasters) ;

ख) आकस्मिक विशेष परिस्थितियां (Force majeure) ;

ग) तृतीय पक्ष द्वारा हस्तक्षेप (Third party interference) ;

घ) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा निष्पादित कृत्य (acts) ;

ङ) औद्योगिक कार्रवाइयां (विधिक आवश्यकताओं के अध्यधीन रहते हुए) ; और

च. बाह्य घटनाओं (external events) के फलस्वरूप विद्युत कमियों (power shortages) का परिलक्षित होना।

13) **"सामान्य युग्मन का बिन्दु (Point of Common Coupling-PCC)"** से अभिप्रेत है मापन का बिन्दु (Point of metering) या वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति प्रणाली का अन्य कोई बिन्दु जो विशिष्ट भार से विद्युतीय प्रकार से निकटतम

हो, जिस पर भार संयोजित होते हैं या फिर संयोजित किये जा सकते हैं। समर्पित सेवा ट्रांसफार्मर के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदाय हेतु सामान्य युग्मन का बिन्दु (PCC) सामान्यतः ट्रांसफार्मर के उच्च दाब (HV) पक्ष की ओर अवस्थित होता है। ऐसे उपयोगकर्ता जिन्हें सामान्य सेवा ट्रांसफार्मर (Common Service Transformer) के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की जाती है, वहां सामान्य युग्मन का बिन्दु (PCC) सेवा ट्रांसफार्मर के निम्न दाब पक्ष (LV Side) की ओर अवस्थित होता है ;

14) "**विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र (Power Quality Meter)**" से अभिप्रेत है कोई यन्त्र (device) जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्दिष्ट सुसंबद्ध मानकों का अनुपालन करने वाले विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों का अनुश्रवण तथा अभिलेखन करने हेतु उपयुक्त है ;

15. "**वर्गो के माध्य वर्गमूल का मूल्य {r.m.s-(Root-Mean-Square Value)**" से अभिप्रेत है किसी निर्दिष्ट समय अन्तराल (Specified time interval) तथा विनिर्दिष्ट बैंड विस्तार (band width) पर किसी मात्रा (quantity) के तात्कालिक मूल्यों (instantaneous values) के वर्गों का अंकगणितीय माध्य (airthmatic mean) का वर्गमूल ;

16) "**आपूर्ति वोल्टेज नति (Supply Voltage Dip)**" से अभिप्रेत है दस मिली सेकंड (milli seconds-m.s) से लेकर एक मिनट तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए घोषित वोल्टेज के 10% से 90% की विद्युत आपूर्ति प्रणाली में किसी प्रदत्त बिन्दु पर 'r.m.s' आपूर्ति वोल्टेज में अस्थाई कमी। सामान्यतः, नति (Dip) लघु–परिपथ (Short Circuit) के घटने (occurence) तथा समापन (termination) या प्रणाली में अत्यधिक विद्युत धारा में वृद्धि (extreme current increase) या इससे जुड़ी स्थापना से संबद्ध होती है;

17) "**आपूर्ति वोल्टेज स्फीतियां (अस्थाई विद्युत आवृत्ति अति वोल्टेज) {Supply Voltage Swells (Temporary Power Frequency Overvoltage)}**" से अभिप्रेत है दस मिली सेकंड (milli seconds-m.s) से लेकर एक मिनट की अवधिं को सम्मिलित करते हुए तक की अवधि हेतु घोषित वोल्टेज के 110% अधिक की विद्युत आपूर्ति प्रणाली में किसी प्रदत्त बिन्दु पर 'r.m.s' आपूर्ति वोल्टेज में अस्थाई वृद्धि ;

18) "**आपूर्ति वोल्टेज स्फीति अवधि (Supply Voltage Swells Duration)**" से अभिप्रेत है वह क्षण (instant) जब विद्युत आपूर्ति प्रणाली के किसी विशिष्ट बिन्दु पर 'r.m.s' जिस पर वह प्रारंभ अवसीमा (start threshold) से अधिक होती है

तथा वह क्षण जब वह समापन अवसीमा (end threshold) से गिर जाती है, के मध्य अन्तराल की अवधि ;

19) **"आपूर्ति वोल्टेज स्फीतिं प्रारंभ अवसीमा (Supply Voltage Swell Start Threshold)"** से अभिप्रेत है आपूर्ति वोल्टेज स्फीति के प्रारंभ को परिभाषित करने के प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट आपूर्ति वोल्टेज पर 'r.m.s' का मूल्य ;

20) **"आपूर्ति वोल्टेज स्फीतिं समापन अवसीमा (Supply Voltage Swell end Threshold)"** से अभिप्रेत है आपूर्ति वोल्टेज स्फीति के समापन को परिभाषित करने के प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट आपूर्ति वोल्टेज पर 'r.m.s' का मूल्य ;

21) **"क्षणिक अति वोल्टेज (Transient Over Voltage)"** से अभिप्रेत है अल्प अवधि की दोलायमान (oscillatory) अथवा गैर–दोलायमान (non-oscillatory) अति वोल्टेज (Over Voltages) जो सामान्यतः उच्च प्रकार से अवमन्दित (damped) होती हैं तथा जिनकी समयावधि कुछ मिलीसेकंडों (milliseconds) की या फिर माइक्रोसेकंडों (microseconds) में होती है ;

22) **"कुल मांग विकृति (Total Demand Distortion-TDD)"** से अभिप्रेत है सन्नाद मात्रा (harmony content) के 'r.m.s' (root mean Square)' का अनुपात, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सन्नाद घटक (harmony component) 50वें क्रम (Order) तक के हैं जिन्हें उच्चतम मांग विद्युत–धारा (maximum demand current) के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया हो;

23) **"कुल सन्नाद विकृति (Total Harmonic Distortion-THD)"** से अभिप्रेत है विद्युत–धारा सन्नाद मात्रा (current harmonic content) के 'root mean Square' का अनुपात, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सन्नाद घटक (harmony component) 50वें क्रम (Order) तक के हैं, जिन्हें आधारभूत (fundamental) के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है ;

24) **"वोल्टेज घटनाएं (Voltage Events)"** से अभिप्रेत है सामान्य या वांछित तरंग आकृति (Wave Shape) से अकस्मात तथा उल्लेखनीय विचलन। सामान्यतः वोल्टेज घटनाएं अप्रत्याशित घटनाओं (unpredictable events) {जैसे कि दोष (faults)} के कारण या फिर बाह्य निमित्तों (जैसे कि मौसमी स्थितियां) के कारण घटित होती हैं ;

25) **"वोल्टेज घटत–बढ़त (Voltage Fluctuation)/या वोल्टेज विषमताएं (Voltage Variations)"** से अभिप्रेत है वोल्टेज परिवर्तनों (Voltage Changes) का अनुक्रम (series) या वोल्टेज आवरण (तरंगों) (voltage envelope) की चक्रण विषमता (Cyclic Variation) जिसकी मात्रा सामान्यतः निर्दिष्ट वोल्टेज सीमाओं (voltage ranges) से अधिक नहीं होती ; और

26) **"वोल्टेज असन्तुलन (Voltage Unbalance)"** से अभिप्रेत है बहु–फेज प्रणाली (Poly-Phase Systems) में कोई स्थिति जिसके अन्तर्गत तन्तुपथ–से–तन्तुपथ (line-to-line) वोल्टेज (आधारभूत घटक) के 'r.m.s मूल्य', या क्रमिक तन्तुपथ वोल्टेजों के मध्य फेज कोण (phase angles) समग्र रूप से बराबर नहीं होते। असमानता के अंश (Degree Inquality) को सामान्यतः ऋण (negative) तथा शून्य अनुक्रम घटकों (Zero Sequence Components) तथा धनात्मक अनुक्रम घटक (positive sequence component) के अनुपात के रूप में प्रकट कियां जाता है।

अध्याय – 2
सामान्य (General)

2.1. विद्युत गुणवत्ता का आकलन (Assessment of Power Quality)

2.1.1 विद्युत् गुणवत्ता के आकलन में विद्युत गुणवत्ता के विभिन्न मानदण्डों के मापन को सम्मिलित किया जाएगा तथा इनकी तुलना समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों में निर्दिष्ट मानकों से की जाएगी।

2.1.2 **विद्युत गुणवत्ता के मानक (Power Quality Standards)**

विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों (Power Quality Parameters), वोल्टेज तथा विद्युत–धारा सन्नादों (Current Harmonics) का मापन तथा अनुश्रवण (measurement and monitoring) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समय–समय पर यथासंशोधित विनियमों 'CEA (Technical Standards for Connectivity to Grid) Regulation, 2007' तथा 'CEA (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013' में निर्दिष्ट सुसंबद्ध 'IEC' तथा 'IEEE' मानकों, के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां कहीं भी मानकों के परिभाषिक शब्द (nomenclature) / संख्या (number) का उल्लेख किया गया हो वहां ऐसे मानकों के संशोधन का नवीनतम संस्करण लागू होगा।

2.2. विस्तार तथा अनुप्रयोग की सीमा (Scope and Extent of Application) :

2.2.1 ये विनियम वितरण अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों समझे गये वितरण अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों सहित, अभिहित उपभोक्ता(ओं) तथा वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों (DGRs) पर लागू होंगे।

2.2.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे अभिहित उपभोक्ता(ओं) (designated consumers) को चिन्हांकित करेगा जिनके द्वारा विद्युत गुणवत्ता (Power Quality) को प्रदूषित किये जाने की संभावना है तथा जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुसंबद्ध विनियमों के प्रयोज्य मानकों से परे सन्नादों (harmonics) को वितरण प्रणाली में अन्तःक्षेपित (inject) करने में सक्षम हैं।

2.2.3 इन नियमों का विस्तार क्षेत्र (Scope) अभिहित उपभोक्ता (designated consumer) एवं वितरित उत्पादन संसाधन (DGR) के सामान्य युग्मन के बिन्दु (point of common coupling-PCC) पर / आपूर्ति छोरों (supply terminals) पर विद्युत आपूर्ति के प्रमुख विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों (Key power quality parameters) को निर्दिष्ट करना है। इन विनियमों के अन्तर्गत सुविचारित वितरण

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियन्त्रित किये जाने वाले विद्युत आपूर्ति की विद्युत गुणवत्ता के मुख्य मानदण्ड (Key Parameters) निम्नानुसार हैं :

एक. आपूर्ति वोल्टेज परिवर्तन/विषमताएं (Supply Voltage Variation)

दो. आपूर्ति वोल्टेज स्फुरण (Supply Voltage Flicker)

तीन. आपूर्ति वोल्टेज असन्तुलन (Supply Voltage Unbalance)

चार. आपूर्ति वोल्टेज अवतलन/नति तथा स्फीतियां (Supply Voltage Sag/dips and Swells)

पांच. आपूर्ति वोल्टेज सन्नाद (Supply Voltage Harmonics)

विद्युत आपूर्ति का विद्युत गुणवत्ता मानदण्ड जिसे अभिहित उपभोक्ता (Designated Consumer) या वितरित उत्पादन संसाधन (DGR) द्वारा नियन्त्रित किया जाना माना गया है, निम्नानुसार है :

छः. विद्युत धारा सन्नाद (Current Harmonics)

2.2.4 इन विनियमों में विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों हेतु निर्दिष्ट सीमाएं केवल सामान्य परिचालन परिस्थितियों के अधीन ही लागू होंगी जैसा कि इन विनियमों में परिभाषित किया गया है।

2.2.5 इन विनियमों के अनुपालन में या गैर–अनुपालन के आधार पर संघटकों (constituents) (यथा अभिहित उपभोक्ताओं, वितरित उत्पादन संसाधनों, तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी) को क्षतिपूर्ति (compensation) से संबंधित उपबन्ध इन विनियमों की अधिसूचना तिथि के पश्चात् एक वर्ष के भीतर प्रभावशील होंगे। अन्य गतिविधियों के साथ–साथ प्रारंभिक चरण (preparatory phase) में, निम्न गतिविधियों का निष्पादन भी किया जाएगा :

एक. अभिहित उपभोक्ताओं (Designated Consumers) तथा वितरित उत्पादन संसाधनों (DGRs) को सुग्राहित (Sensitize) करने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी समुचित उपाय करेगा।

दो. वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त अभिहित उपभोक्ताओं (Designated Consumers) तथा वितरित उत्पादन संसाधनों (DGRs) को इन विनियमों के उपबन्धों के बारे में अवगत कराने हेतु तथा इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक वर्ष के भीतर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र {Power Quality (PQ) Meters} स्थापित किये जाने के बारे में उनकी वचनबद्धता (obligation) के बारे में नोटिस जारी करेगा।

तीन. वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर या ऐसी कोई तिथि जैसा कि केन्द्रीय विद्युत

प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो 33/11 kV उप–केन्द्रों/विद्युत वितरण कम्पनी (Discom) के विद्युत वितरण तन्त्र (distribution network) की सामरिक अवस्थितियों (Strategic locations) पर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों की स्थापना करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस बारे में एक विस्तृत योजना इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों की स्थापना करते समय सामरिक अवस्थितियों (strategic locations) को प्रथम वर्ष के दौरान सम्मिलित किया जाएगा तथा शनैः–शनैः समस्त 33 kV उपकेन्द्रों को सम्मिलित किया जाएगा।

चार. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत गुणवत्ता मापदण्डों के बारे में अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी समुचित दिशा–निर्देश तैयार किये जाएंगे। ये दिशा–निर्देश आयोग को इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर प्रस्तुत किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी समस्त संघटकों (constituents) हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को सम्मिलित करते हुए विद्युत गुणवत्ता मापदण्डों (Power Quality Parameters) के अनुश्रवण तथा संधारण क्रियाविधि के साथ–साथ क्षतिपूर्ति क्रियाविधि (compensation) हेतु भी स्पष्ट उपबन्ध प्रस्तावित करेगा :

परन्तु यह कि यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता हो तो आयोग द्वारा स्वविवेक (Suo-Motu) के माध्यम से क्षतिपूर्ति निर्दिष्ट की जाएगी।

पांच. यदि अभिहित उपभोक्ता (Designated Consumer)/वितरित उत्पादन संसाधन (DGR) निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र स्थापित करने में विफल रहते हों तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उन्हें 30 दिवस का नोटिस जारी किया जाएगा। 30 दिवस की सूचना (नोटिस) अवधि समाप्त होने के पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता /वितरित उत्पादन संसाधन (DGR) के परिसर में 30 दिवस की अवधि हेतु ऐसे उपभोक्ता/वितरित उत्पादन संसाधन (DGR) की लागत पर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र (power quality meter) की स्थापना करेगा। ऐसी स्थापना को उपभोक्ताओं/वितरित उत्पादन संसाधनों द्वारा सुगम बनाया (facilitate) जाएगा। यदि प्राप्त परिणाम विद्युत गुणवत्ता मानकों की पूर्ति

नहीं करते हैं तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ताओं/ वितरित उत्पादन संसाधनों (DGRs) के विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों के अभिलेखन पश्चात् आयोग द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति को आरोपित करेगा। विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र की स्थापना नहीं करने पर चूककर्ता पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के उपबन्धों के अनुसार अर्थदण्ड (penalties) आरोपित किये जा सकेंगे।

2.2.6 विश्वसनीयता में वृद्धि, ऊर्जा दक्षता में सुधार, विद्युत गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु तथा निकृष्ट विद्युत गुणवत्ता के कारण व्यवधानों (disruptions) तथा उपकरणों की विफलता को कम करने के प्रयोजन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी उनके विद्युत वितरण तन्त्र (distribution network) के विद्युत गुणवत्ता अंकेक्षणों (power quality audits) के संचालन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) तैयार करेगा तथा इसे आयोग को इन विनियमों की अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगा। मानक प्रक्रिया में निम्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा :

क) अंकेक्षण की आवृत्ति (Frequency of Audit), विस्तार क्षेत्र (Scope) तथा आन्तरिक एवं बाह्य विद्युत गुणवत्ता अंकेक्षण के संचालन हेतु क्रियाविधि की संरचना ;

ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों के विस्तृत आकलन की प्रक्रियाएं ;

ग) प्रतिदर्शन (Sampling) : विभिन्न विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों के बारे में परिशुद्धता (accuracy) तथा अभिलेखित आंकड़ों की विश्वसनीयता के आकलन हेतु समुचित प्रतिदर्श तकनीकों (Appropriate Sampling Techniques) का प्रतिपादन।

घ) कार्य–स्थल का निरीक्षण (On-Site Inspection) : मानकों के अनुपालन के सत्यापन हेतु उपकेन्द्रों (Substations), सामान्य युग्मन बिन्दु (Point of Common Coupling) / मापन बिन्दु (metering point) के भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection) का निष्पादन ; और

ङ) अनुशंसाएं (Recommendations) : विद्युत की गुणवत्ता में वृद्धि, जोखिमों की रोकथाम (mitigate risks) तथा विद्युत वितरण कम्पनी के तन्त्र (नेटवर्क) के निष्पादन को अनुकूलतम (Optimize) बनाये जाने हेतु प्रस्तावित दोष निवारक कार्रवाइयां तथा रणनीतियां।

च) परन्तु यह कि यदि अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित समयसीमा के भीतर मानक परिचालन प्रकिया (SoP) प्रस्तुत करने में विफल रहता हो तो आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जाने वाली लागत पर अंकेक्षक की नियुक्ति ऐसी निबन्धन तथा शर्तों पर जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित की जाएं, कर सकेगा।

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व (Roles and Responsibilities of Distribution Licensees)

2.2.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार निम्न विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों को संधारित करने हेतु उत्तरदायी होगा :

विद्युत गुणवत्ता मानदण्ड (Power Quality Parameter)

एक. आपूर्ति वोल्टेज परिवर्तन/विषमताएं (Supply Voltage Variation)

दो. आपूर्ति वोल्टेज असन्तुलन (Supply Voltage Unbalance)

तीन. वोल्टेज अवतलन (नति) तथा स्फीति (Supply Voltage Sag/dips and Swells) ; और

चार. वोल्टेज सन्नाद (Voltage Harmonics)

2.2.8 विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों को संधारित (maintain) न किये जाने की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी प्रभावित अभिहित उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

2.2.9 वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु समय–समय पर जारी यथासंशोधित दिशा–निर्देशों, यथा 'MPERC Guidelines for Capital Expenditure by Distribution Licensees in Madhya Pradesh' के अनुसार उनके विद्युत वितरण तंत्र (distribution network) के अन्तर्गत सामरिक अवस्थितियों (Strategic Locations) पर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों की स्थापना हेतु पूंजी निवेश योजना तैयार करेगा।

2.2.10 वितरण अनुज्ञप्तिधारी स्थापित किये गये विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों के माध्यम से अभिलेखित विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों की अद्यतन स्थिति का छः माही प्रकाशन अपने पोर्टल पर करेगा।

2.2.11 वितरण अनुज्ञप्तिधारी निरन्तर एवं परिशुद्ध विद्युत गुणवत्ता अनुश्रवण (मानिटरिंग) सुनिश्चित करने हेतु समस्त विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों को सदैव उत्तम कार्यकारी स्थिति में रखने हेतु उत्तरदायी होगा :

परन्तु यह कि विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों का नियतकालिक परीक्षण (Testing) तथा अंशांकन (calibration) मूल मापयन्त्र विनिर्माता (Original Meter Manufactures) की अनुशंसाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

2.2.12 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु उपकरणों जैसे कि छानकों (filters) या नियन्त्रकों (controllers) के नियोजन के माध्यम से अपने विद्युत प्रदाय क्षेत्र की विद्युत गुणवत्ता में सुधार लाये जाने बाबत प्रयास करने होंगे। इस प्रयोजन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु समय–समय पर जारी यथासंशोधित दिशा–निर्देशों, यथा 'MPERC Guidelines for Capital Expenditure by Distribution Licensees in Madhya Pradesh' के अनुसार उनके विद्युत वितरण तंत्र (distribution network) के अन्तर्गत सामरिक अवस्थितियों (Strategic Locations) पर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों की स्थापना हेतु पूंजी निवेश योजना तैयार करेगा।

2.2.13 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आंकड़ों की सुरक्षा (data security) सुनिश्चित करनी होगी तथा इन आंकड़ों का उपयोग केवल चिन्हित प्रयोजन (identified purpose) हेतु ही करना होगा तथा इन आंकड़ों को विशिष्ट अभिहित उपभोक्ताओं तथा वितरित उत्पादन संसाधनों (DGRs) की सहमति के बगैर अन्य किसी व्यक्ति को अन्तरित नहीं किया जाएगा।

2.2.14 वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा तथा उसे अपना छः माही तथा वार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन (Compliance Report) प्रस्तुत करना होगा।

अभिहित उपभोक्ता तथा वितरित उत्पादन संसाधन की भूमिका तथा उत्तरदायित्व (Roles and Responsibilities of Designated Consumer & DGRs)

2.2.15 अभिहित उपभोक्ता तथा वितरित उत्पादन संसाधन (DGRs) इन विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार समय सीमा के भीतर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों की स्थापना करेंगे तथा मापयन्त्र द्वारा अभिलेखित आंकड़ों को प्रति माह वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ साझा करेंगे। समस्त अभिहित उपभोक्ता तथा वितरित उत्पादन संसधान (DGRs) निरन्तर तथा परिशुद्ध विद्युत गुणवत्ता अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु समस्त विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों को सदैव उत्तम कार्यकारी स्थिति में रखने हेतु उत्तरदायी होंगे :

परन्तु यह कि विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों का नियतकालिक परीक्षण (Testing) तथा अंशांकन (calibration) मूल मापयन्त्र विनिर्माता (Original Meter Manufactures) की अनुशंसाओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

2.2.16 अभिहित उपभोक्ता तथा वितरित उत्पादन संसाधन (DGRs) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अधीन विद्युत प्रणाली के भीतर विद्युत–धारा सन्नाद अन्तःक्षेपण (current harmonic injection) के नियन्त्रण हेतु उत्तरदायी होंगे। वे इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर विद्युत गुणवत्ता समस्याओं के निराकरण हेतु अपने उद्यमों/सुविधाओं (facilities) पर समुचित उपकरणों, जैसे कि छानकों (filters) या नियन्त्रकों (controllers) को नियोजित करेंगे।

2.2.17 अभिहित उपभोक्ता तथा वितरित उत्पादन संसाधन (DGRs) अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आपूर्ति प्रणाली में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों में निर्दिष्ट मानकों से परे विद्युत धारा सन्नाद (छानक के साथ या उसके बगैर भी) अन्तःक्षेपित करने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होंगे। क्षतिपूर्ति के स्तर को आयोग द्वारा पृथक आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

विद्युत गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता शिकायतों का निराकरण (Redressal of Consumer Complaints with regard to Power Quality) :

2.2.18 विद्युत गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता की शिकायतों का निराकरण निम्न रीति के अनुसार किया जाएगा :–

एक. यदि विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र (Power Quality Meter) को स्थापित किया गया है तथा अभिलेखित सुसंबद्ध विद्युत गुणवत्ता आंकड़े उपलब्ध हों तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों के आंकड़े उपभोक्ता के साथ साझा करेगा तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों में निर्दिष्ट मानकों से विचलन पर कार्यवाही करेगा :

क. वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों को शिकायत प्राप्त होने के दस दिवस के भीतर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विनियमों में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप स्तर पर लाया जाए, जैसा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है बशर्ते यह कि तन्त्र (नेटवर्क) में किसी प्रकार का विस्तार (expansion)/उन्नयन (upgradation) सन्निहित न हो ; और

ख. यदि वितरण प्रणाली में किसी प्रकार का विस्तार (expansion)/उन्नयन (upgradation) किया जाना अपेक्षित हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी शिकायत का निराकरण 180 दिवस के भीतर करेगा।

दो. यदि विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र स्थापित न किया गया हो तथा सुसंबद्ध अभिलेखित विद्युत गुणवत्ता मानदण्ड उपलब्ध न हो तो अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2022 के उपबन्धों के अधीन आयोग द्वारा पृथक से निर्दिष्ट विद्युत गुणवत्ता सत्यापन प्रभारों (Power Quality Verification Charges-PQVC) का उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने पर 30 दिवस की अवधि हेतु विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र/विश्लेषक (Power quality Meter/Analyzer) को नियोजित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत गुणवत्ता मानदण्ड आंकड़ों को अभिलेखित किया जाएगा तथा इसे उपभोक्ता के साथ साझा किया जाएगा :–

परन्तु यह कि यदि विद्युत गुणवत्ता मापदण्डों के आंकड़े स्वीकार्य सीमा (permissible limit) के भीतर पाये जाते हैं तो उपभोक्ता को 'PQVC' राशि का प्रत्यर्पण (refund) किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि गुणवत्ता मानदण्डीय आंकड़े केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों में विनिर्दिष्ट स्वीकार्य सीमा से परे पाये जाते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त विनियम 2.2.18 (एक) (क) तथा (ख) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

तीन. उपभोक्ता जो विद्युत गुणवत्ता की शिकायतों के निराकरण से असन्तुष्ट हो वह शिकायत के निराकरण हेतु अपना अभ्यावेदन यथासंशोधित मप्रविनिआ (उपभोक्ताओंकी शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2021 के अनुसार गठित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (ECGRF) के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

चार. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम शिकायतों का निराकरण करते समय इन विनियमों के विनियम 2.2.10 तथा 2.2.15 के अनुसार उपभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्रों (Power Quality Meters) के सुसंबद्ध अभिलेखों के संदर्भ का अवलोकन करेगा।

यदि विद्युत गुणवत्ता से संबंधित सूचना (जानकारी) और अभिलेख उपलब्ध न हों या फिर विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र सामान्य युग्मन के बिन्दु (point of common coupling) पर दोषपूर्ण (defective) स्थिति में हो तो विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (ECGRF) तत्संबंधी विद्युत गुणवत्ता मानदण्डों के अभिलेखन हेतु इन विनियमों के अधीन जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किसी विशिष्ट अवधि के लिए ऐसे मापयन्त्र की स्थापना हेतु आदेश जारी कर सकेगा।

पांच विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (ECGRF) उपभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के विनियम 2.2.3 से संरेखित निर्दिष्ट विद्युत गुणवत्ता मानकों के अनुसार अनुपालन प्रदर्शित करने के निर्देश भी दे सकेगा।

छः. यथासंशोधित मप्रविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2021 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मामले की सुनवाई पश्चात् विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (ECGRF) सुविवेचित/तर्कसंगत आदेश, निम्न विवरण प्रदान करते हुए, जो मात्र निम्न विवरण तक ही सीमित न होगा पारित करेगा :

क) विद्युत गुणवत्ता मानदण्ड (Power Quality Parameter) जिस हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई ;

ख) इन विनियमों के अधीन विद्युत गुणवत्ता मापयन्त्र द्वारा अभिलेखित मानदण्ड तथा मानक मूल्यों (Standards) से विचलन ;

ग) टिप्पणी, क्या इन विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है, या नहीं ; और

घ) क्या विद्युत गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु शिकायतकर्ता उपभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयुक्त यन्त्र, जैसे कि छानक (filters) या नियन्त्रक (controllers) नियोजित किये गये हैं ;

ङ) निष्कर्ष/देय क्षतिपूर्ति, जैसा कि लागू हो।

अध्याय – 3
विविध प्रावधान (Miscllaneous Provisions)

3.1 शिथिल करने संबंधी शक्ति (Power to Relax)

आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् वितरण संहिता से संबंधित कतिपय उपबन्धों को स्वप्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

3.2 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति (Power to Remove Difficulties) :

यदि वितरण संहिता के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कठिनाई आती हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकेगा जो अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न होंगे तथा आयोग के मत में कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक तथा समीचीन होंगे।

3.3 अन्य विनियमों के साथ किसी असंगति के बारे में, इन विनियमों के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

टीप : इस "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत गुणवत्ता) विनियम 2025" के हिन्दी रूपान्तरण की व्याख्या या समझने की स्थिति में किसी प्रकार की विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण के अनुसार इसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पाण्डा, आयोग सचिव.